भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3407

16 मार्च, 2021 के लिए प्रश्न

लंबित धान राजसहायता

3407. श्रीमती चिंता अनुराधा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य को चावल के लिए 4,282 करोड़ रुपए की धान की राजसहायता की धनराशि देना लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य को बकाया धनराशि जारी करने के लिए कोई निर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्य को बकाया धनराशि जारी करने में भविष्य में होने वाली देरी से बचने के लिए क्या निर्देश जारी किए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क) से (घ): आंध्र प्रदेश जैसे विकेन्द्रीकृत खरीद वाले (डीसीपी) राज्यों को अनंतिम/अग्रिम खाद्य सब्सिडी की अनुमेय राशि उनके तिमाही-वार दावों के आधार पर जारी की जाती है।

राज्य सरकारों से प्राप्त खाद्य सब्सिडी के दावों पर कार्रवाई, अन्य बातों के साथ-साथ खाद्यान्नों के अथशेष एवं इतिशेष स्टॉक, खरीद, आवंटन और वितरण, भारतीय खाद्य निगम से मिलान, उपयोग प्रमाण पत्र, खाद्यान्नों की आर्थिक लागत आदि को ध्यान में रखकर की जाती है।

राज्य सरकार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के दावे सहित उनके दावों के प्रति 7,110.11 करोड़ रुपए की अनुमेय राशि पहले ही जारी कर दी गई है, जिसका ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

******

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 16.03.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 3407 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जारी की गई (पीएमजीकेएवाई सहित)

तारीख	राशि (करोड़ रुपए में)
1.5.2020	1345.91
8.5.2020	293.00
25.6.2020	879.38
27.7.2020	771.43
24.8.2020	512.36
25.09.2020	304.59
23.10.2020	86.70
9.03.2021	2916.74
योग	**7110.11**

खाद्य सब्सिडी से संबंधित अनंतिम/अग्रिम दावों, जिनकी विभाग में जांच की जा रही है, का विवरण

क्रम सं.	**राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत दावों का विवरण**	**वर्तमान स्थिति**
1.	अप्रैल, 2020 से नवम्बर, 2020 की अवधि के लिए अनंतिम पीएमजीकेएवाई (दावा की गई राशि: 2005.69 करोड़ रुपए)	राज्य सरकार के परामर्श से जांच की जा रही है।

*****